वकील की हत्या के विरोध में हड़ताल,नहीं की पैरवी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 16 फरवरी. करैरा के अधिवक्ता संजय सक्सेना की न्यायालय जाते समय हुई निर्मम हत्या के विरोध में ग्वालियर के अधिवक्ता समुदाय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस घटना को लेकर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए शहर भर के वकीलों से न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का आह्वान किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। सोमवार को ग्वालियर में किसी भी अधिवक्ता ने न्यायालय में पैरवी नहीं की और सभी न्यायालयों में कामकाज ग ठप रहा।

अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि दिनदहाड़े एक अधिवक्ता की हत्या होना कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। उन्होंने बताया कि इस घटना से पूरे प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय में भय और असुरक्षा का वातावरण बन गया है। यदि न्याय व्यवस्था से जुड़े लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी चिंता को व्यक्त करने के लिए सामूहिक रूप से न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया।

पुलिस का पुतला जलाया, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

सोमवार दोपहर हाईकोर्ट व जिला एवं सत्र न्यायालय के वकील एकजुट हुए और धरना प्रदर्शन किया। वकीलों ने शिवपुरी के करैरा थाना पुलिस का पुतला दहन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव मुर्दाबाद की नारेबाजी की गई। वकीलों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस व प्रशासन अलर्ट नजर आया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक के नेतृत्व में वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसएडीएम अतुल सिंह को सौंपा है।

दोषियों को मिले कड़ी सजा

अभिभाषक संघ के अनुसार, अधिवक्ता संजय सक्सेना की हत्या की निष्पक्ष और त्वरित जांच होनी चाहिए तथा दोषियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। साथ ही प्रदेश भर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाए जाने की मांग भी उठाई गई। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक अधिवक्ताओं को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होना कठिन होगा। विरोध के दौरान अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत अधिवक्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पक्षकारों को दीं नई तारीखें

ग्वालियर में करीब दस हजार से अधिक अधिवक्ताओं ने इस विरोध में भाग लिया। जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय खंडपीठ तक किसी भी अदालत में नियमित पैरवी नहीं हुई। कई मामलों की सुनवाई प्रभावित रही और पक्षकारों को नई तारीखें दी गईं। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर उठाया गया है।

30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन शुरू

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 16 फरवरी. मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह के नेतृत्व प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे चरण में प्रदेश के 30 हजार आउटसोर्स, स्वास्थ्य, कर्मचारियों की न्याय उचित प्रमुख मांगों को लेकर आज

प्रमुख मांगों को लेकर 3 दिन काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध प्रदर्शन

16, 17 , एव 18 फरवरी तक कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर शोषण प्रथा की नीति का विरोध कर रहे है 23 एवं 24 फरवरी को प्रदेश विभिन्न शासकीय अस्पतालों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे । राजधानी भोपाल की सड़कों पर एकत्रित होकर हल्ला बोल प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री महोदय से न्याय की गुहार लगाएंगे।

यह है प्रमुख मांगें

. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सेवाएं दे चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना कोई शर्त के विभाग में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों समायोजन कर नियमित किया जाए अथवा बिना कोई शर्त के संविदा में मर्ज किया जाए।
. प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में निम्न पदों पर सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन एवं हरियाणा शासन की तर्ज पर ठोस नीति तैयार कर स्थाई समाधान किया जाए ।
. आउटसोर्स कर्मचारी के लिए न्यूनतम 21000 वेतन निर्धारित किया जाए
. श्रम विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित वेतन वृद्धि की गई थी उक्त अनुसार 11 माह के एरियर राशि भुगतान नहीं किया गया विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं।
. समस्त जिलों में निजी आउटसोर्स एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाए विभाग द्वारा सीधा खातों में भुगतान किया जाए
. रेगुलर कर्मचारियों की तरह शासकीय छुट्टियों की सुविधा दी जाए ।
. आउटसोर्स कर्मचारी को भी नियमित भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण दिया जाए ।
. आउटसोर्स कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए।
. ग्रेज्यूटी का लाभ दिया जाए।

4 दिन में तीन बार लापता हुआ 10 वर्षीय छात्र, भोपाल में मिला

ग्वालियर। ग्वालियर से चार दिन पहले लापता हुआ 10 साल के बालक को आखिरकार पुलिस ने भोपाल के बैरागढ़ के पास से बरामद कर लिया है। पुलिस बालक को लेकर ग्वालियर आ गई है। चार दिन में बालक तीन बार लापता हुआ है। नाबालिग छात्र बेहद तेज दिमाग का है। 2 दिन पहले वह बीना रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को मिला था। पुलिस उसे लेकर ग्वालियर आ रही थी। तभी वॉशरूम का बहाना बनाया और पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में लगी थी। अब वह बैरागढ़ भोपाल में मिला है। पुलिस ने काउंसलिंग के बाद बच्चे को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया जा रहा है। सब जगह तलाश की पर वह कहीं नहीं मिला। शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के शनिदेव मंदिर मांढरे की माता मंदिर के पास रहने वाले एक परिवार का दस वर्षीय बेटा 12 फरवरी दोपहर 2 बजे घर से अचानक गायब हो गया था। नाबालिग कक्षा चार का छात्र है। लापता बालक की तलाश में परिजन ने रिश्तेदार, दोस्तों के यहां उसकी छानबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब नाबालिग छात्र कहीं नहीं मिला तो परिजन ने उसी दिन रात को झांसी रोड थाना पहुंचकर मामले की सूचना दी।

फरवरी से ही सताने लगी गर्मी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 16 फरवरी. शहर का तापमान लगातार गर्म हो रहा है, इसके कारण लोगों को फरवरी माह के दूसरे पखवाड़े में ही मार्च माह में आने वाली होली जैसी गर्मी

फरवरी में हो रहा मार्च, अप्रैल सा अहसास

का अहसास होना शुरू हो गया है। शहर का न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है, जबकि अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है। जबकि हवा में आर्द्रता 62 प्रतिशत दर्ज की गई जो कि सामान्य से 18 प्रतिशत अधिक है। ग्वालियर में पारा लगातार सामान्य से अधिक

बना हुआ है। रविवार को इस सीजन का सबसे अधिक गर्म दिन रहा। रविवार को दिन का तापमान 31.1 डिग्री दर्ज किया गया, इसके कारण लोगों को सड़क पर चलने में पसीना आने लगा।

पछुआ हवा गायब, मौसम साफ इसलिए बढ़ा तापमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल पछुआ (पश्चिमी दिशा) पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शहर में जबरदस्त ठंड पड़ती थी। हालात यह होते थे कि फरवरी माह में लोगों को ठिठुरन महसूस होती थी, जबकि शाम होते ही शहर पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपट जाता था, लेकिन इस साल पश्चिमी हवाओं के नहीं आने और मौसम एकदम साफ होने के कारण शहर में तापमान तेजी से बढ़ा है। इसके कारण ग्वालियर सहित आसपास के मैदानी इलाकों में फरवरी माह से गर्मी पड़ना प्रारंभ हो गई है।

मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित, लिए गए अनेक निर्णय

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 16 फरवरी. मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर डॉ.शोभा सतीश सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर विकास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई। बाल भवन स्थित टीएलसी में आयोजित बैठक में मेयर इन काउंसिल सदस्य अवधेश कौरव, नाथूराम ठेकेदार, शकील मंसूरी, विनोद यादव माठू, गायत्री सुधीर मंडेलिया, प्रेमलता धर्मेन्द्र जैन, संध्या सोनू कुशवाह, अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव, प्रदीप तोमर, मुनीष सिंह सिकरवार, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आर.एफ.पी. की शर्तों में

आवश्यक संशोधनों के अनुमोदन बावत् निगमायुक्त के प्रतिवेदन की पुष्टि की गई। इसके साथ ही अति आवश्यक परिस्थितियों में निगम कर्मचारियों को नियत तिथि पर वेतन भत्ते एवं पेंशन भुगतान हेतु ओ.डी. लिमिट किये जाने की स्वीकृति बावत् निगमायुक्त के प्रतिवेदन की पुष्टि की गई। साथ ही ठेका रेता, भूसा, गिट्टी, पत्थर आदि वर्ष 2023-24 की शेष अवधि की ई.एम.डी. वापिसी बावत् निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत उक्त बिंदु वापिस किया गया। बैठक में ठेका पेड पार्किंग चिड़ियाघर नवीन गेट निरस्ती के सम्बन्ध में निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही म.प्र. राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित क्र. 46 भोपाल 13 नवम्बर 2020 अनुसार गतवर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2026-27 में कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार सम्पत्तिकर की दरों का निर्धारण के सम्बन्ध में निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत अनुशंसा के साथ परिषद की ओर अग्रेषित किया गया। साथ ही म.प्र. अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016, संशोधन 2021, 2023 की कंडिका 3 (क) (ख) अनुसार पुनर्निर्मित हुजरात मार्केट की दुकानों को मासिक किराये पर ऑफर आमंत्रण एवं अंतरण करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई तथा निविदा आमंत्रण के बाद एमआईसी को प्रेषित करने के निर्देश दिए। बैठक में गेन्ट्री पैकेज क्रमांक जी 1 निविदा की संशोधन शर्तें एवं गेन्ट्री पैकेज क्रमांक जी 2 निविदा की संशोधन शर्तें अनुमोदन बावत् निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत पारदर्शिता बरतते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही पूर्व विधानसभा अन्तर्गत मुख्यमंत्री सड़क अद्योसंरचना फेस-02 (निगम निधि से परिवर्तित) अन्तर्गत सड़क डामरीकरण कार्य की समयावृद्धि के सम्बन्ध में निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की। बैठक में वाहन किराया प्रकरण में म्याद वृद्धि एवं अतिरिक्त व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में निगमायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा उपरांत वाहन म्याद वृद्धि के साथ 01 करोड की राशि बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर चर्चा उपरांत आवश्यक निर्णय लिए गए।

कल होगा किसान सम्मेलन, सीएम आयेंगे

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 16 फरवरी. वर्ष 2026 को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। किसान कल्याण वर्ष का पहला राज्य स्तरीय विशाल किसान सम्मेलन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 18 फरवरी को ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में आयोजित होगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्राम कुलैथ में आयोजित होने जा रहे किसान सम्मेलन से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश भर के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ.

यादव कृषि प्रदर्शनी एवं स्थानीय किसानों द्वारा आयोजित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का अवलोकन करेंगे और कन्हैया लोकगीतों का आनंद लेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को कुलैथ पहुँचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह भी उनके साथ थे। कलेक्टर चौहान ने कार्यक्रम स्थल पर संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कार्यक्रम से संबंधित दायित्वों का गंभीरता के साथ निर्वहन करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों सहित कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे नागरिकों को असुविधा न हो। कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हैलीपेड, मुख्य मंच, प्रदर्शनी स्थल व किसानों की बैठक व्यवस्था व पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ स्थल इत्यादि का जायजा लिया। साथ ही निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं को इस प्रकार से अंतिम रूप दें, जिससे कृषकगण सुविधाजनक तरीके से निर्धारित स्थल पर पहुँच सकें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर पेयजल की भी पुख्ता व्यवस्था की जाए। इस मौके पर जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत, अपर कलेक्टर सी बी प्रसाद एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

कंटेनर ने कार में मारी टक्कर

ग्वालियर 16 फरवरी. तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से एक कार में टक्कर मार दी, इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं दूसरी ओर मोटर साइकिल से आ रहे एक युवक को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से घायल युवक को उसके रिश्तेदार अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने डंपर चालक एवं कार चालक के खिलाफ मामला कायम कर लिया है। जानकारी के अनुसार निरंजन कुशवाह पुत्र नबाब सिंह कुशवाह निवासी ग्राम छेरा बागचीनी जिला मुरैना अपनी कार क्रमांक एमपी 06 जेड जे 7648 ग्वालियर आ रहे थे, वह जैसे ही निरावली तिराहे पर पहुंचे तभी पीछे से आ रहे डंपर क्रमांक एचआर 38 जेड 9919 ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना की शिकायत निरंजन ने पुरानी छावनी थाने में दर्ज कराई है। वहीं 4 फरवरी को गपलू खान पुत्र फजरउद्दीन खान निवासी परपटे का पुरा उम्र 31 साल ग्राम भयपुरा से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे.

वरिष्ठ साहित्यकार एवं संगीतकार अशोक 'नादान' का निधन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 16 फरवरी। सुप्रसिद्ध गायक व संगीतज्ञ अशोक नादान का आज शाम को निधन हो गया वह लगभग 90 वर्ष के थे । स्वर्गीय नादान सुगम संगीत

ग्वालियर की सांस्कृतिक विरासत की अपूर्णीय क्षति

के विख्यात गायक थे, उन्होंने आकाशवाणी भोपाल से वर्षों तक अपने संगीतबद्ध गीतों का गायन किया। स्वर्गीय नादान गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे हैं, अपनी सेवा निवृत्ति के बाद आप अपने शिष्यों को सुगम संगीत की शिक्षा दे रहे थे। उनके शिष्यों और शहर के गणमान्य कलाकारों ने उनके निधन को ग्वालियर के सांस्कृतिक इतिहास में एक 'बड़ी रिक्तता' करार दिया है। स्थानीय कलाकारों का कहना है कि नादान जी का जाना एक संस्थान के अंत जैसा है, जिसकी कमी को कभी भरा नहीं जा सकेगा। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं, उनके तीन पुत्र मनोज, मनीष और मधुर शर्मा तथा दो पुत्रियाँ हैं। अशोक नादान का अंतिम संस्कार आज 17 फरवरी को मुरार मुक्तिधाम पर दोपहर 12 बजे के बाद किया जाएगा। नवभारत परिवार एवं नगर की अनेक संस्थाओं और संगीतकारों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है।

कब्जा नोटिस (अचल संपति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि पर ब्याज सहित लगाया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" के बकाया और सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री रजनीश शर्मा श्रीमती रक्षा शर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10439142)	प्लॉट संख्या 130 और प्लॉट संख्या 129 का भाग, गुलाबपुरी कॉलोनी, फेज-2, वार्ड संख्या 61, सीरियल नंबर 112, ग्राम-खुरैरी, परगना और जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन नंबर 474003। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफलः 1000.00, 900.00, 1000.00	रू. 1932051/- उन्नीस लाख बत्तीस हजार इक्यावन मात्र	13-10-2025	12/02/2026
श्री केशव यादव श्रीमती अंजू यादव केशव यादव (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10667963)	495/1 मिनट, 495/2, नगर संख्या 6482, वार्ड संख्या 05, शिव शक्ति नगर, अकबरपुर मुजफ्ता, ग्वालियर, 474003 - भारत। क्षेत्रफल वर्ग फुट में: संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफलः 1800.00, 831.00, 924.00	रू. 2212170/- बाईस लाख बारह हजार एक सौ सत्तर मात्र	09-10-2025	13/02/2026

अधिक जानकारी के लिए, कृपया शाखा कार्यालयः डी-1, भूतल, बसंत विहार, ग्वालियर - 474002, मध्य प्रदेश या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः ग्वालियर
दिनांकः 17.02.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

डिवाइडर और सवारी वाहनों ने छीनी राहगीरों की सांसें

संजीव कुमार शर्मा

ग्वालियर 16 फरवरी. एक तरफ शहर के वीआईपी इलाकों और अफसरों के बंगलों के सामने सड़कों पर सजावट और सौंदर्यीकरण का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर उपनगर मुरार का कुम्हरपुरा क्षेत्र अव्यवस्था और ट्रैफिक जाम के नरक में तब्दील हो चुका है। यहाँ की संकरी सड़कों

कुम्हरपुरा पर ट्रैफिक समस्या से रोज जूझ रहे लोग

पर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के अजीबोगरीब प्रयोगों ने स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है।

गलत प्लानिंग, संकरी रोड पर भारी डिवाइडर- क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कुम्हरपुरा की रोड पहले से ही संकरी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने सड़क के बीचों-बीच सीमेंट के भारी-भरकम

डिवाइडर रखवा दिए हैं। इन डिवाइडरों की वजह से सड़क और भी ज्यादा संकुचित हो गई है। रही-सही कसर यहाँ अवैध रूप से खड़े होने वाले टेंपो और ई-रिक्शा पूरी कर देते हैं।

शिव नगर के रहवासी भी बेहाल- शिव नगर से मुख्य मार्ग की ओर आने वाले नागरिकों का रास्ता भी इन अवैध स्टैंड्स की भेंट चढ़ गया है। ताज्जुब की बात यह है कि थाटीपुर पेट्रोल पंप से आकाशवाणी चौराहे तक प्रशासन ने 8 से 10 वाहन स्टैंड बनाए गए हैं, जहाँ एक भी गाड़ी खड़ी नहीं होती। वहीं, कुम्हरपुरा जैसे व्यस्त क्षेत्र में एक भी आधिकारिक स्टैंड नहीं है, जिसके कारण टेंपो चालक जहाँ जगह मिलती है, वहीं कब्जा जमा लेते हैं।

सवारी के फेर में बंद हो जाता है रास्ता

ग्राउंड जीरो पर स्थिति यह है कि टेंपो चालक सवारियों के इंतजार में एक के पीछे एक लंबी लाइन लगा देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब पीछे से आने वाले अन्य टेंपो बीच सड़क पर ही वाहन रोककर सवारियां भरने लगते हैं। इससे पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जाम की स्थिति इतनी भयावह होती है कि पैदल चलना भी दूभर है, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

प्रतिदिन लगने वाले इस जाम और अव्यवस्था के बावजूद ट्रैफिक पुलिस और नगर प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। क्षेत्रीय जनता ने मांग की है कि इन अवैध स्टैंड्स को हटाया जाए और डिवाइडरों की व्यवस्था में सुधार कर राहगीरों को राहत दी जाए।

लोगों का कहना है

यह सिर्फ नगर प्रशासन की अनदेखी के कारण हो रहा है, इससे वाहन चालकों का उत्साह बड़ा हुआ है। चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के लोग चालान काटते हुए तो नजर आते हैं लेकिन जगह-जगह लग रहे जाम को दूर करने की कोई नहीं सोच रहा।

राजा चौहान

शहर की सड़कों पर टेंपो, ई रिक्शा कहीं भी खड़े हो जाते हैं। कई वार पीछे से आ रहे वाहन जब टकरा जाते हैं तो यह लडने लगते हैं, आखिरकार हमारे शहर में स्टैंड पर ही वाहन कब खड़े होना शुरू होंगे।

निधि शर्मा

अफसरों के बंगलों के सामने तो खूब सजावट की जा रही है, लेकिन हमारे घर के सामने खड़ी इस समस्या को दूर करने वाला कोई नहीं है।

मोहित थापक

केनरा बैंक Canara Bank भारत सरकार का उपक्रम | सिंडिकेटबैंक SyndicateBank | क्षेत्रीय कार्यालयः प्रथमतल साईं बाबा कॉम्प्लेक्स,जीडीए बिल्डिंग के पास, फूलबाग, ग्वालियर फोनः 0751-2423126 | **कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)**

अधोहस्ताक्षरकर्ता केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणधारी को निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज राशि एवं सहित नोटिस प्राप्ति के 60 दिन की समय अवधि के भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था ऋणी निर्धारित समय सीमा में ऋण का भुगतान करने में असफल रहा है। अतः ऋणी/जमानतदार एवं सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम (8 एवं 9) के अंतर्गत नीचे वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणग्रहीता को विशिष्टयता और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा निम्नलिखित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए केनरा बैंक की संबंधित शाखा के अधीन होगा। ऋणी एवं जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (Redeem कराने) के संबंध में अधिनियम की धारा (8) के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

ऋणी एवं संपत्ति मालिक/जमानतदार का नाम	नोटिस के अनुसार राशि	बंधक रखी संपत्ति का विवरण
शाखाः केनरा बैंक, ग्वालियर मैन, Ph. 79870-16450, E-mail : cb0295@canarabank.com		
कर्जदार- 1. मेसर्स ओम फैब्रिकेटर्स एंड कंस्ट्रक्शन पताः माँ पीताम्बरा विहार कॉलोनी, तानसेन रोड, कबरा का ताल, ग्वालियर,म.प्र.-474001 2. श्री कल्याण सिंह रावत पुत्र श्री रामचरण सिंह रावत पताः मकान नं.-78, साकेत नगर ग्वालियर, म.प्र.-474001 गारंटर:- श्रीमती ललिता देवी रावत पत्नी श्री कल्याण सिंह रावत पताः मकान नं.-78, साकेत नगर ग्वालियर, म.प्र.-474001	₹ 19,32,161.14/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे-वसूली मांग नोटिस दिनांक 12-11-2025 कब्जा दिनांक 13-02-2026	संपत्ति स्वामी- श्री कल्याण सिंह रावत - रेजिडेंशियल हाउस का एसेटः एम.एच. नंबर-17/1156, सर्वे नंबर-115 का हिस्सा, कब्र का ताल, लोको शेड के पीछे, तानसेन रोड, गाँव- महलगाँव, वार्ड नंबर-17, ग्वालियर, म.प्र.-474001. एरियाः 690 वर्गफुट, चतुर-सीमाएँ: पूरब- त्यागी जी का घर, उत्तर- कॉलोनी रोड, पश्चिम- कॉलोनी रोड, दक्षिण- रावत जी का घर
स्थानः ग्वालियर	दिनांकः 16/02/2026	प्राधिकृत अधिकारी कैनरा बैंक

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिये मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा सिटी सेंटर, ग्वालियर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., सिटी सेंटर से मुद्रित. संपादक हरीश दुबे* समाचार संपादक- अनिल शर्मा, फोन-0751-4086200, फैक्स- 2343200 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार डाक पंजीयन क्रमांक 507/2008/ग्वा. RNI Reg. No. 62237/95